न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्री नरेन्द्र कुमार मीना,
आर०ए०एस०

वाद संख्या :- 55/2011.

उनवान

केसर बेवा कानाराम जाति जाट निवासी बिहारा
तहसील शाहपुरा (जयपुर) (मृतक दौराने दावा)

1/1. गुल्ली पुत्री काना पत्नि ओंकार
1/2. दाखली पुत्री काना पत्नि अर्जुन
जाति जाट निवासी भाबरू तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राजस्थान)

...वादीयागण

बनाम

1. महादेव पुत्र नाथू जाति जाट निवासी बिहारा तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)
2. बाबूलाल पुत्र ओमकार
3. मामराज पुत्र अर्जुनलाल
जाति जाट निवासी भाबरू तहसील विराटनगर (जयपुर)

...प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा

(प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आर्डर-23 रूल-1 सहपठित धारा 151 सी०पी०सी०)

उपस्थित :-

1. श्री रविशंकर अग्रवाल, अधिवक्ता प्रार्थीयागण/ वादियागण की ओर से
अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण :- एक पक्षीय

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जिला) राजस्थान

दिनांक 3-1-2020

आदेश

1. उपर्युक्त उनवानी वाद बाबत इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा का वादिया की ओर से जरिये अपने अधिवक्ता श्री बी०डी० अग्रवाल दिनांक 24/5/1997 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बिहारा तहसील शाहपुरा स्थित आराजी हाल खसरा नम्बरान 1232/0.74, 1233/0.39,

...(2)

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

1235/0.51, 1284/0.48, 538/0.31, 539/0.16, 540/0.20 व 1242/0.77 हे० कुल किता 6 रकबा 3.56 हे० मे समुचित रकबे की वादिया 1/2 हिस्से की तथा शेष 1/2 हिस्से के प्रतिवादीगण सह खातेदार काश्तकार हैं एवं अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त हैं। प्रतिवादीगण ने बिना वादीया की जानकारी के गुप्त रूप से आपस में साज कर के वादीया को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से राजस्व कर्मचारियों से मिलकर बिना किसी अधीकार के उक्त आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 1232, 1233, 1235 व 1284 की खातेदारी के 1/2 हिस्सा की भूमि से वादिया का नाम हटवाकर प्रतिवादी संख्या-1 ने अपने नाम 2/3 भाग की व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अपने नाम 1/3 भाग की खातेदारी दर्ज करवाली तथा इसी प्रकार आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 538, 539, 540 व 1242 में प्रतिवादी संख्या-1 ने अपने नाम 1/2 भाग की व प्रतिवादी संख्या-2 व 3 ने अपने नाम 1/4 भाग की खातेदारी राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत 2051 से 2054 में गलत व खिलाफ कानून व बिना अधीकार के दर्ज करवाली। वादीया अब भी अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज है, लेकिन

2. वादीया अब भी अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज है, लेकिन प्रतिवादीगण अपनी ताकत के बल पर वादिया का कब्जा हटाकर स्वयं का कब्जा करने पर उतारू हैं। वादिया को उक्त राजस्व रिकार्ड के गलत इन्द्राजात की जानकारी होने पर प्रतिवादीगण को इन्द्राज दुरूस्ती करवाने के लिए कहा तो वे इन्कार हो गये, बल्कि वादिया को बेदखल कर समस्त आराजीयात पर अपना कब्जा करने की धमकी दी, इस कारण उक्त दावा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ और यही वाद कारण है। दावा अन्दर मियाद है तथा निर्धारित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है, जिसे सुनने व तय करने का न्यायालय को अधीकार प्राप्त है। अतः दावा स्वीकार कर डिक्री फरमाया जावे।

3. दावा प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिश्ता ली गयी तथा दावा काबिले समाअत होना पाया जाने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी जारी करवाई गयी।

4. प्रतिवादीगण की ओर से जरिये अपने अधिवक्ता हाजिर अदालत होकर जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में वर्णित तथ्यों को आंशिक रूप से गलत होना बताकर अस्वीकार करते हुए वादिया का वाद मय हर्जा-खर्चा खारिज किये जाने का अभिकथन किया।

5. हस्तगत वादपत्र में जवाबदावा प्रस्तुत होने पर प्रकरण के विधिवत निस्तारण किये जाने हेतु विवाद्यक बिन्दु कायम कर पक्षकारों

--③

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वास्ते साक्ष्य नियत की गई तथा रिकार्ड एवं मौके की स्थिति की मौका कमीशनर नियुक्त कर रिपोर्ट तलब की गई, जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करने पर उभयपक्षों को सुना जाकर दिनांक 20/4/2001 को आदेश पारित कर रिपोर्ट कमीशनर निरस्त की गयी। वादीगण की ओर से साक्ष्य में प्रस्तुत शपथपत्रों पर जिरह करने तथा प्रार्थना-पत्र 06.12.2018 के जवाब प्रस्तुत करने हेतु प्रतिवादीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को समुचित अवसर प्रदान कर अनेकों तारीखें नियत की गयी। परन्तु प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता के नियत दिनांक 16/9/2019 को हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी तथा प्रकरण में सुनवाई हेतु आगामी तिथियां नियत की गई।

6. तादौराने सुनवाई वाद प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आर्डर-23 रूल-1 सहपठित धारा-151 सी०पी०सी० के तहत दिनांक 25/11/2019 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण/वादीगण का आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 1284 मि०/0.24, 1234/0.74 व 538/0.31 हे० पर मौका रिपोर्ट दिनांक 9/1/2001 में कब्जा बतलाया गया है। इस प्रकार आपसी पारिवारिक व्यवस्था के अन्तर्गत बंटवारा में दी गई ग्राम निठारा व लेटकाबास की अन्य भूमियों के अलावा आराजी मुतनाजा में से खसरा नम्बर 1234/0.74, 1233/0.39, 1235/0.51 व 1284/0.48 हे० कुल बीघा 4 रकबा 2.12 हे० वाके मौजा निठारा के 1/2 भाग का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे तथा आराजी मुतदाविया के आराजी हाल खसरा नम्बर 538, 539, 540 व 542 वाके मौजा निठारा से वाद प्रार्थीगण/वादीगण को विड्रा किये जाने की प्रार्थना की।

7. प्रार्थना-पत्र पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/वादीगण को एकतरफा में सुना गया तथा प्रकरण के तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड शाहदत का अवलोकन कर मनन किया।

8. पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड शाहदत नकल राजस्व अभिलेख Ex-1 जमाबन्दी सम्वत् आधार वर्ष में खाता संख्या 41 व 42 में वर्णित आराजी मुतनाजा के हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी वादिया मरहुम केसर बेवा काना के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रमाणित है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2051-2054 Ex-2 व Ex-3 की प्रतिलिपियों से उक्त आराजी मुतदाविया की खातेदारी ..(4)

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
सत्यमेव जयते

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वादिया के बजाये प्रतिवादीगण के नाम अंकित होना साबित है। विद्वान
अधिवक्ता प्रार्थीयागण/वादियागण का कहना था कि सेटलमेन्ट की कार्यवाही
के दौरान प्रतिवादीगण ने वादिया की पीठ पीछे से बिना उन्हें सुनवाई का अवसर
प्रदान किये ही ए0एस0ओ0 के आदेश दिनांक 30/1/1990 से वादिया के नाम
राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी की भूमि में से उनका नाम हटवाकर प्रतिवादीगण
ने गलत रूप से सम्पूर्ण हिस्से की आराजीयात में अपना नाम अंकित
करवा लिया। ए0एस0ओ0 का उक्त तथाकथित आदेश दिनांक 30/1/1990 प्रार्थीयागण/वादियागण के हक हकूकों के प्रति
क्षेत्राधिकार विहीन होने से शून्यः व बेअसर है। इसलिए प्रार्थीयागण/वादीगण साबिके हिस्से के
अनुरूप समस्त आराजी मुतनाजा में अपने हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने
व राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये की मुस्तहक है, किन्तु आपसी पारिवारिक
व्यवस्था के अन्तर्गत आपसी रजामन्दी होते हुए बाहमी बंटवारे के अनुसार
उनके मौखिक रूप से काबिज काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1232,1233,1235
व 1284 कुल किता-4 रकबा 2.12 हे0 स्थित ग्राम भैनारा के 1/2 हिस्से की
भूमि का ही उन्हें खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा शेष आराजीयात
का वाद विक्रय किये जाने के आदेश फरमाया जावे। चूँकि वादपत्र में वर्णित
आराजी मुतनाजा की खातेदारी साबिके राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों के अनुसरण में राजस्व
विपरीत ए0एस0ओ0 के निर्णय दिनांक 30/1/1990 के प्रतिवादीगण के नाम अन्तरण हुई है, जबकि
रिकार्ड में वादिया के स्थान पर प्रविष्टियों के अनुरूप ही खातेदारी
सेटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान साबिके प्रविष्टियों के अनुरूप ही अधिकार है। बिना सक्षम न्यायालय के
राजस्व रिकार्ड में अंकित करने का अधिकार सेटलमेन्ट अधिकारियों को खातेदारी अधिकार
आदेश व दस्तावेजात के सेटलमेन्ट अधिकारियों को
प्रोद्भूत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सेटलमेन्ट के
दौरान साबिके राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों के विपरीत वादियाके नाम
राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी हजफ करके उनके स्थान पर प्रतिवादीगण
के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश क्षेत्राधिकार विहीन
होने से वादिया के विधिक हक हकूकों एवं अधिकारों के प्रति शून्यः व बेअसर
होने से राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात दुरुस्त किये जाने योग्य है। किन्तु प्रार्थीयागण/
वादियागण के द्वारा आपसी पारिवारिक व्यवस्था के अन्तर्गत बाहमी बंटवारा के
अनुसार आराजी मुतनाजा के खसरा नम्बर 1232,1233,1235 व 1284 कुल किता-
4 रकबा 2.12 हे0 के 1/2 हिस्से की ही खातेदारी का अनुतोष चाहा है। यद्यपि
मौका कमीशन की मौका रिपोर्ट दिनांक ../1/2001 प्रश्नगत प्रकरण में शामिल

--(5)

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
शाहपुरा राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

आदेशिका दिनांक 20/3/2001 के द्वारा निरस्त की जा चुकी है, लेकिन उक्त मौका रिपोर्ट में वादिया का आराजी मुतनाजा के विशेष भू-भाग खसरा नम्बर 1284 मी० रकबा 0.24 है०, 1232/0.74 है० व 1238/0.31 है० पर तन्हा कब्जा तथा शेष आराजी मुतनाजा पर अन्य सहखातेदारान काश्तकारान का मौतिक कब्जा काश्त होना बताया है। प्रतिवादीगण के द्वारा अपने मौखिक अभिकथनों से इसे गलत होना बताकर अस्वीकार अवश्य किया है, किसी किसी दस्तावेजी रिकार्ड/शहादत से इसे गलत होना साबित नहीं करवाया है। ऐसी स्थिति में पक्षकारान/सहखातेदारान के मध्य आपसी रजामन्दी से आराजी मुतनाजा का बाहमी विभाजन होना प्रतीत होता है। स्वयं प्रार्थियागण/वादियागण के द्वारा आराजी मुतदाविया के सम्पूर्ण रकबे में स्थित अपने हिस्सा 1/2 भाग की भूमि के बजाये केवल पारिवारिक व्यवस्था के अन्तर्गत बाहमी बंटवारा के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1232, 1233, 1235 व 1284 कुल कित्ता-4 रकबा 2.12 है० वाके मौजा निठारा के 1/2 हिस्से की ही भूमि पर अपनी खातेदारी क्लेम की है तथा शेष आराजी मुतनाजा के सम्बन्ध में दावा विड्रा किये जाने की प्रार्थना की है, जिसे स्वीकार किये जाने में हमें कोई बाधा व अड़चन होना नहीं पाते हैं।

9. उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थियागण/वादियागण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश-23 नियम-1 सहपठित धारा 151 सी०पी०सी० का स्वीकार कर वादिया का दावा इस आदेश के साथ डिक्री किया जाता है कि ग्राम निठारा स्थित आराजी खसरा नम्बर 1232/0.74, 1233/0.39, 1235/0.51 व 1284/0.48 कुल कित्ता-4 रकबा 2.12 है० के हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी में से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन करके उनके स्थान पर वादियागण का 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से पाबन्द किया जाता है कि वे वादियागण के हिस्से एवं खातेदारी की भूमि में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें, बल्कि उन्हें काबिज काश्त रहकर शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग करने देवें। शेष आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 538, 539, 540 व 1242 बाबत वाद विड्रा किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तदनुसार डिक्री मुर्तिब होकर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करवाने के लिए वादियागण इजरा जारी करें।

10. निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 03-01-2020 को खुले इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी ... राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(VI)

संशोधन दिनांक 7/2/2020

आदेश दिनांक 3/1/2020 के अंतिम पृष्ठ के पैरा सं० 9 में आराजी खसरा नम्बर 1232, 1233, 1235, 1284 कुल किता 4 रकबा 2.12 हैक्ट० वाके ग्राम मिढारा तहसील शाहपुरा के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं० 2, व 3 का नाम दफज किया जाता है तथा उक्त भूमि के 1/2 भाग का वादीगण व 1/2 भाग का प्रतिवादी सं० 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष अंकन यथावत समझा जावे तदानुसार पर्चा डिक्री में संशोधन का अंकन हो।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

वाद संख्या :–55/2011

उनवान

1. केसर बेवा कानाराम जाट नि. निठारा तह. शाहपुरा जिला जयपुर(मृतक दौराने वाद)
1/1. गुल्ली पुत्री काना पत्नी ओंकार } समस्त जाति जाट नि0 भाबरू
1/2. दाखली पुत्री काना पत्नी अर्जुन } तह0 विराटनगर जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. महादेव पुत्र नाथू नि. निठारा तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
2. बाबूलाल पुत्र ओमकार } समस्त जाति जाट नि0 भाबरू
3. मामराज पुत्र अर्जुनलाल } तह0 विराटनगर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा
(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–23 नियम–1 सहपठित धारा 151 सीपीसी.)

अतः प्रार्थीगण/वादियागण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–23 नियम–1 सहपठित धारा 151 सीपीसी. का स्वीकार कर वादिया का दावा इस आदेश के साथ डिक्री किया जाता है कि ग्राम निठारा स्थित आ.ख.नं. 1232/0.74, 1233/0.39, 1235/0.51 व 1284/0.48 कुल किता 4 रकबा 2.12 है0 के हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी में से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन करके उनके स्थान पर वादियागण का 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से पाबन्द किया जाता है कि वे वादियागण के हिस्से एवं खातेदारी की भूमि में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें, बल्कि उन्हें काबिज काश्त रहकर शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग करने देवे। शेष आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 538, 539, 540 व 1242 बाबत डिक्री किये जाने के आदेश किये जाते है। तदानुसार डिक्री मुर्तिब होकर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करवाने के लिए वादियागण इजराय प्रस्तुत करें।

निर्णय आज तारीख 03-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
(नरेन्द्र कुमार मीणा)
शाहपुरा (जयपुर)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

संशोधन दिनांक 7/2/2020 :– आराजी ख.नं० 1232, 1233, 1235, 1284 कुल किता 4 रकबा 2.12 है० वाके ग्राम निठारा तहसील शाहपुरा के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं० 2, व 3 का नाम हजफ किया जाता है तथा उक्त भूमि के 1/2 भाग का वादीगण को व शेष 1/2 भाग का प्रतिवादी सं० 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष संकलन यथावत समझा जावे।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान